ईमेल–cfoalm.ukfs@gmail.com

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा।
पत्रांकः–सीएफओ/एन/एएलएम/2023(42) दिनांकः अगस्त , 03 ,2024

शारदा पब्लिक स्कूल
नियर सर्किट हाउस, दुगालखोला
जनपद–अल्मोड़ा

विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–39824915, दिनांकः 31.07.2024 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन शारदा पब्लिक स्कूल नियर सर्किट हाउस, दुगालखोला जनपद–अल्मोड़ा का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.08.2024 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु एबीसी टाईप के 04 किग्रा के 12 अदद् सीओटू 4.5 किग्रा के 03 अद्द, 07 अदद् होजरील चालीस हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड़ टैंक मय पम्प के स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः शारदा पब्लिक स्कूल का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (भूतल प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल में कुल 36 कमरे हेतु) दिनांकः 03 अगस्त 2024 से 02 अगस्त 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
7. भूमि भवन/मानचित्र के सम्बंध में यदि किसी विभाग/व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रकट किये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी व अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा।